

फर्द अहकाम
नियम (26)

जसवंतपुरा

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-भीनमाल

वादी/अर्थी-

राजाराम ड/० कालाशाही
लबी नि० बवानपुर
तह. जसवंतपुरा

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-

भैरवलाल ड/० नररीलाल
भैरवलाल नि० बवानपुर
तह. जसवंतपुरा

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र /

राजस्व वाद

नंबर-...../20

04/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुई
17-1-18	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री <u>शिवराज सिंह</u> द्वारा <u>दावा</u> बाबत <u>स्वायं विवेक</u> <u>विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण</u> पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए <u>समर्थ</u> तलब होकर मिशल आयंदा तारीख <u>19/1/2018</u> को पेश हो।</p>	<p>समर्थ जाती 17-1-18</p>
19/1/18	<p><u>सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा</u> <u>जिल्ला-जातोर (राज.)</u> <u>पत्रिका सं० 1 (से 3) की ओर से श्री</u> <u>कालाशाही</u> अधिवक्ता द्वारा <u>पेश हुआ हुआ</u> <u>अवसर चाहे है अवसर दिया जाये</u> <u>समर्थ तामील अवसर तामील प्राप्त</u> <u>नहीं इत्तफार लेकर मिशल तारीख</u> <u>20-1-18 को पेश हो।</u></p>	<p>कम</p>
17-1-18	<p><u>पत्रिका</u> अधिवक्ता अधिवक्ता पेश हुई वादी अधिवक्ता ने पत्रिका का जलब का सुनवाई हेतु पत्रिका पत्र पेश किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जो हण्डल है। प्रार्थना पत्र पेश हुआ किया जाकर पत्रिका सुनवाई हेतु भाज पेश हुई। वादी अधिवक्ता</p>	

2018/080001

इस एक प्रतीक के बाद राजीनामा
के बाद स्वार्थिज करने का पैरा विद्य
जो बाद सुनवाई के स्वीकार किया
जता है। वादी का बाद लोक भंडारत
की भावना ले राजीनामा होने से अत्र
वाद जरिये राजीनामा विद्रोह स्वार्थिज
किया जाता है। पत्रावली के साथ सुमंडर
होकर नष्ट कर ले कर हो।

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिल्हा-जालोर (राज.)